प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 27.5.19 को अप्रार्थी 1 से 5 की ओर से वकील गोपाल राम मिर्धा ने अण्डरटेकिंग दे कर जवाब व वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहने पर समय दिया गया। अप्रार्थी 6 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 12.02.20 तक अप्रार्थी 1 से 5 का वकालतनामा व जबाब पेश नहीं करने पर तथा बार-बार अवाज लगाने के बाद भी अप्रार्थीगण स्वंय एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधान व बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना-पत्र के संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अनुसार ग्राम बरेव के ख.न. 611, 612, 613 कुल रकबा 1.82 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा है। जिसमें प्रत्येक खातेदार को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा अवैध बजरी खनन करने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित नहीं किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार है। वर्णित प्रार्थना-पत्र में बंटवारा होकर अलग-अलग काबिज होना बताया है जो मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना है। संयुक्त खातेदारी में एक खातेदार दूसरे खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकार नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। दिनांक 25/5/19 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अपास्त किया जाता है। तहसीलदार जांच कर उक्त भूमि में किसी प्रकार का अवैध खनन हो रहा हो तो खातेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/7/4